

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर


क्रमांक : एफ/प्रशा/स्था/2013/7346

दिनांक 09.09.2013

// अधिसूचना //


मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 14 की उपधारा (6) के प्रावधान अन्तर्गत महामहिम कुलाधिपति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर, राज भवन भोपाल आदेश क्रमांक एफ-1-3/2009/रास/यू.ए.-1/965 दिनांक 09.09.2013 के द्वारा प्रो० जे.एन. गौतम, रेक्टर, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर को नियमित कुलपति की नियुक्ति होने तक के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति का कार्य सम्पादित करने के लिये कुलपति नियुक्त किया गया है।

महामहिम कुलाधिपति जी के उक्त आदेश के पालन में प्रो० जे.एन. गौतम, रेक्टर, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने कुलपति पद का कार्यभार दिनांक 09.09.2013 को मध्याह्न से ग्रहण कर लिया है।


कुलसचिव

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. सचिव, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन, भोपाल म0प्र0।
3. राज्यपाल के सचिव, राज्यपाल का सचिवालय, राजभवन, भोपाल।
4. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
5. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, म0प्र0 शासन, भोपाल।
6. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, म0प्र0 शासन, भोपाल।
7. सचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, नई दिल्ली।
8. आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर।
9. महानिरीक्षक, पुलिस, ग्वालियर।
10. जिलाधीश, जिला ग्वालियर।
11. पुलिस अधीक्षक, जिला ग्वालियर।
12. कुलपति, भारत के समस्त विश्वविद्यालय।
13. कुलसचिव, भारत के समस्त विश्वविद्यालय।
14. सचिव, लोक सेवा आयोग, इन्दौर।
15. शिक्षा संचालक, म0प्र0 शासन, भोपाल।
16. कार्यपरिषद के समस्त सदस्य।
17. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशालाएँ, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
18. समस्त अधिकारी, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
19. प्राचार्य/प्राचार्या, विश्वविद्यालय के समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय।
20. सम्पादक, दैनिक समाचर पत्र, ग्वालियर।


सहायक कुलसचिव (प्रशा०)